रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 223] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 1970/ज्येष्ठ 28, 1892
No. 223] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 1970/JYAISTHA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June 1970

S.O. 2196.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of Assam or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply [not being any such service falling under sub-clause (viii) of clause (a) aforesaid] would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. EL.II.17(34)/70]
V. V. CHARI, Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून 1970

का० आ० 2196.—आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जिसकी यह राय है कि असम राज्य में जनता को विद्युत शक्ति की आपूर्ति से या ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति के उत्पादन भंडारकरण या संचरण से सम्बन्धित ऐसी किसी सेवा में

[जो उक्त अधिनियम के खण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अधीन आने वाली सेवा न हो] हड़तालों के परिणामस्वरूप समुदाय को गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हर ऐसी सेवा को, एतद्द्वारा, आवश्यक सेवा घोषित करती है ।

[सं० ई० एल० II/17 (34)/70.]

वी० वी० चारि, सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 18th June 1970

S.O. 2197.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service in the State of Assam connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply, which has been declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power, S.O. 2196 dated the 18th June, 1970, to be an essential service for the purposes of the said Act or which falls under sub-clause (viii) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the said Act.

By order and in the name of the President.

[No. EL.II.17(34)/70.]

V. V. CHARI, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून 1970

का० आ० 2197.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि जन हित में निम्नलिखित आदेश बनाना आवश्यक है :

अतः, अब आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा असम राज्य में ऐसी किसी सेवा में हड़तालों का प्रतिषेध करती है जो जनता को विद्युत शक्ति की आपूर्ति से या ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति के उत्पादन, भंडारकरण या संचरण से सम्बन्धित है और जो भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना, सं० का० आ० 2196 तारीख 18 जून, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सेवा घोषित की जा चुकी है या जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (viii) के अधीन आती है ।

राष्ट्रपति के नाम में और आदेश से ।

[सं० ई० एल० II/17(34)/70.]

वी० वी० चारि, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970